Demand to strengthen overall system for rehabilitation of victims of acid attacks in India

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, आपने एक अत्यंत गंभीर विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मान्यवर, आज इस सदन में मैं सदन के सदस्यों से और आपसे उन ऐसिड विक्टिम्स की तरफ से प्रार्थना करने के लिए खड़ा हूं, जो जिंदगी में हर दिन मरती हैं। उन ऐसिड विक्टिम्स के बारे में एनसीआरबी का डेटा है कि वर्ष 2014 से लगभग हर साल 200 महिलाएं ऐसिड अटैक का शिकार होती हैं और इनमें 80 प्रतिशत महिलाएं होती हैं, जिनमें 30 प्रतिशत नाबालिक बच्चियां होती हैं। मान्यवर, एक ब्रेव सोल फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, जो दिल्ली में काम करती है, जब मैं उस संस्था के एक कार्यक्रम में गया था, तो मुझे उनके दर्द को जानने का मौका मिला। वहां जो बच्चियां हैं, अगर आप उनको देखेंगे, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। उनको न्याय मिलने में बहुत अधिक समय लग जाता है और बहुत विलम्ब होता है। वहां पर शाहीन मलिक नाम की एक महिला है। वह 16 साल से न्याय की आस में भटक रही है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। उसका चेहरा पूरा बिगड़ गया है और उसकी एक आंख भी चली गई है। वहां अनुपमा और मोहिता नाम की सिवान की बच्चियां भी थीं। उसके ऊपर ऐसिड अटैक हुआ और 20 साल के बाद उनको न्याय मिला, जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वे दुनिया में नहीं थीं।

मान्यवर, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल, 2015 को एक आदेश जारी किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी अस्पताल दोनों जगहों पर इनका पूरी तरह से फ्री इलाज होना चाहिए। मैं सरकार से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि उनके लिए फ्री इलाज की व्यवस्था की जाए। इनको मुआवजे के नाम पर मात्र 5 लाख रुपये मिलते हैं। इनके इलाज के लिए कम से कम 50 लाख रुपये का इंतजाम किया जाए। मान्यवर, आप हैरान होंगे कि एक दीपमाला नाम की बच्ची की 45 सर्जरीज़ हुईं। शाहीन मलिक की 44 बार सर्जरी हुई। रीमा 7 साल से न्याय के लिए भटक रही है। नीरजा 15 साल से न्याय के लिए भटक रही है। मान्यवर, इन लोगों को कोई नौकरी पर भी नहीं रखता। इनके लिए ऐसी सरकारी नौकरी का इंतजाम किया जाए, जहाँ पर वे नौकरी कर सकें। ये बच्चियाँ जब रोज सुबह उठती हैं और अपने चेहरे को देखती हैं, तो इनको रोज मरना पड़ता है।

मान्यवर, आज मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि acid victims के लिए fast track court बनाया जाए। 20-20 साल तक इन बच्चियों को न्याय के लिए भटकना पड़ता है, इसलिए इनके लिए देश के अंदर fast track court बनाया जाए। जो CSR fund है, उस CSR fund को इन बच्चियों के कल्याण के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनके इलाज के लिए निर्धारित किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 2014 के बाद से लेकर अब तक के जितने केसेज़ हुए हैं और उसके पहले के भी जितने केसेज़ हुए हैं, उनकी समीक्षा के लिए एक केंद्रीय समिति बना कर इनकी मदद और इलाज का इंतजाम किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Sanjay Singh: Shri R. Girirajan (Tamil Nadu), Shri Ritabrata Banerjee (West Bengal), Shrimati Jebi Mather Hisham (Kerala), Shri Ajit Kumar Bhuyan (Assam), Dr. V. Sivadasan (Kerala), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. P. Suneer (Kerala), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya (West Bengal), Prof. Manoj Kumar Jha (Bihar), Dr. John Brittas (Kerala), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Haris Beeran (Kerala), Shri Prakash Chik Baraik (West Bengal), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Shri Imran Pratapgarhi (Maharashtra) and Shri A. A. Rahim (Kerala).

Now, Shrimati Sagarika Ghose, "Need for robust blood transfusion laws for those battling Thalassemia and Sickle Cell Anemia."

Need for robust blood transfusion laws for those battling Thalassemia and Sickle Cell Anemia

SHRIMATI SAGARIKA GHOSE (West Bengal): Sir, the country faces serious shortages in the supply of healthy uninfected blood. Many are in danger of serious health risks of contracting diseases from infected blood through blood transfusions. Blood banks are under enormous pressure and often fall short of healthy blood. The country requires 14.6 million units of blood annually, yet faces a shortfall of around 7 million units each year. This is extremely worrying as countless lives, particularly those infected with Sickle Cell Anemia and Thalassemia, depend on access to safe uninfected blood. There have been reports of shortages of the life saving drug for Thalessemics: Desferal. India has 1,50,000 individuals diagnosed with Thalassemia major who depend on regular blood transfusion for their very survival. Blood transfusion services are fragmented and contain many inefficiencies. Those who are fortunate enough to receive transfusions sometimes contract HIV. There is a notable and growing reluctance in India for citizens to donate blood. It is vital to spread awareness and to educate people on the benefits of blood donation. If we donate blood, we become healthier. The donor's health can improve after blood donation by the stimulation of new blood cell production and maintenances of healthy levels of iron. By way of parenthesis, I can say that the device of Zero Hour allows us to raise these urgent peoples' issues. *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject.

* Not recorded.